सरल भाषा में कानून – भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम

[For Para-Legals/ पराविधिक सेवकों के लिए]

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

[HALSA / हालसा]

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्य संरक्षक
माननीय न्यायमूर्ति श्री मुकुल मुदगल
मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष
माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल
न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव
श्री हरिन्द्र सिंह भन्गू
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

प्रकाशक:
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एस.सी.ओ. 142–143, पहली मंजिल, सैक्टर 34 ए, चण्डीगढ़।
दूरभाष 0172–2604055, फैक्स 0172–2622875

भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम

यह अधिनियम किन–किन पर लागू होता है –

शादी करने वाले दोनों पक्षों में से कोई एक इसाई होना चाहिए।

इस अधिनियम के तहत विवाह करवाने के लिए कौन–कौन अधिकृत हैं–

इस अधिनियम की धारा 5 के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी विवाह करवाने के लिए अधिकृत है –

1. कोई भी व्यक्ति जो धर्म का अधिकारी हो।
2. कोई भी स्कॉटलैंड चर्च का पादरी।
3. इस अधिनियम के तहत कोई भी अधिकृत धार्मिक मंत्री।
4. विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी उपस्थिति में।
5. इस अधिनियम के तहत कोई भी अधिकृत व्यक्ति जिसे विवाह प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार हो।

धर्म के मंत्री द्वारा करवाए जाने वाले विवाह –

क) कोई भी विवाह का इच्छुक व्यक्ति (पुरुष या महिला) लिखित में सूचना, जो कि प्रारूप में निर्धारित की गई है, उस धर्म के मंत्री को प्रस्तुत करेगा।

ख) विवाह होने से पहले धर्म के मंत्री द्वारा प्रमाणपत्र जारी होना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र –

1. सूचना प्राप्त होने के बाद, चार दिन तक जारी नहीं होगा।
2. पति या पत्नी उस मंत्री के सामने पेश होकर विवाह कराने हेतु यह सुनिश्चित करेगा कि उसे विश्वास है कि उनकी शादी होने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।
3. यदि कोई पक्ष नाबालिग है, तो पिता के जीवित होने पर, उनकी अनुमति और यदि पिता मृत हैं तो ऐसी स्थिति में उसके अभिभावक की अनुमति और यदि अभिभावक नहीं है तो ऐसे नाबालिग की माता की अनुमति जरूरी है।

(ग) प्रमाणपत्र जारी होने के दो मास भीतर विवाह होना चाहिए नहीं तो दोबारा नोटिस देना होगा।

(घ) प्रमाणपत्र जारी होने के बाद, विवाह किसी भी विधि और रस्म जो मंत्री को ठीक लगें, के अनुसार और कम से कम दो गवाहों की उपस्थिति में हो सकता है।

(ड.) इस अधिनियम के तहत जो भी विवाह होते हैं उसे एक अधिकृत व्यक्ति के द्वारा निश्चित रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी उपस्थिति में होने वाले विवाह –

1. जब विवाह रजिस्ट्रार की मौजूदगी में विवाह करना हो तो पहली अनुसूचि के अनुसार जिला के विवाह–रजिस्ट्रार को नोटिस दिया जाएगा। विवाह रजिस्ट्रार इस नोटिस की एक प्रति अपने

कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर चिपकाएगा। इस नोटिस की एक सच्ची प्रतिलिपि "विवाह सूचना किताब" में दर्ज की जाएगी।

2. जिसने नोटिस दिया है, यदि वह पक्ष विवाह रजिस्ट्रार को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रार्थना करता है –

   क) तो रजिस्ट्रार प्रमानपत्र जारी कर देगा, यदि –

   – कोई एक पक्ष रजिस्ट्रार के सामने शपथ लेता है कि कोई भी कानूनी बाधा नहीं है ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने में।
   – कि इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने ऐसे प्रमाणपत्र को न जारी करने के लिए नहीं कहा।
   – कि नोटिस के प्राप्त होने के बाद चार दिन निकल चुके हैं।
   – जहाँ एक पक्ष नाबालिग है, ऐसे विवाह के लिए कानूनन अनुमति ले ली गई है या फिर अनुमति देने के लिए कोई भी अधिकृत व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है।

3. प्रमाणपत्र जारी होने के बाद यदि कोई और वैध बाधा नहीं है, तो दोनों पक्ष किसी भी रस्म–रिवाज से जो उन्हें ठीक लगे उससे विवाह कर सकते हैं।

4. विवाह रजिस्ट्रार और दो या दो से अधिक विश्वासनीय गवाहों की उपस्थिति में किया जाएगा।

5. प्रत्येक पक्ष निम्नलिखित घोषणा करेगा/करेगी कि –

> "मैं घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी ऐसी कानून अड़चन को नहीं जानता/जानती कि मैं (क.ख.) ग.घ. से विवाह नहीं कर सकता/सकती।"
>
> "मैं यहाँ उपस्थित गवाहों का आहवान करता/करती हूँ कि मैं (क.ख.) तुम्हें (ग.घ.) को कानूनी तौर पर मेरा/मेरी ब्याहता पति/पत्नी स्वीकार करता/करती हूँ।"

6. प्रमाणपत्र जारी होने के दो मास भीतर विवाह होना चाहिए नहीं तो नया नोटिस दिया जाता है।

7. किसी भी विवाह के सम्पन्न होने के बाद यह तुरन्त "विवाह रजिस्टर किताब" में दर्ज करवानी होती है और उस रजिस्टर में एक संलग्न प्रमाणपत्र में भी दर्ज करना होता है। दोनों पक्षों द्वारा और विवाह रजिस्ट्रार द्वारा और गवाहों द्वारा उन प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं —

1. उपमण्डल स्तर पर — अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवम् अध्यक्ष, उपमण्डल विधिक सेवा समिति।

2. जिला स्तर पर — जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवम अध्यक्ष/मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

3. हाई कोर्ट/राज्य स्तर पर — कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ.142—143, पहली मंजिल, सैक्टर 34—ए, चण्डीगढ़।
   दूरभाष 0172—2604055

   — सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़। दूरभाष 0172—6607530

4. सुप्रीम कोर्ट स्तर पर — सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, 12/11, जामनगर हाउस, नई दिल्ली। दूरभाष 011—23385321

   — सचिव, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, 109, लायर्ज चैम्बरज, पोस्ट आफिस विंग, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउण्ड, नई दिल्ली। दूरभाष 011—23073970

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

एस.सी.ओ 142—143, सैक्टर 34—ए, चण्डीगढ़। फोन: 0172—2604055, फैक्स: 0172—2622875

ई—मेल: hslsa@chd.nic.in, वैबसाईट: www.hslsa.nic.in